

08/09/25

पगाल पेश डूरी। इशयपहा डपाथिए। वकील पार्थी ने जमावन्दी की नकले पेश कर कथन किया कि प्रकरण मे डिप्टी कमिश्नर पातगा ये चुकी है। अतः प्रकरण फैसल किया जावे।

पगाली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे इजराय पार्थीग। - पग कमिश्नर पातगा ये जाने से कोई कार्यवाही खोष नही रहती है। अतः पगाली फैसल सुमार बेकर दायित्व दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूमबर
जिला सलूमबर
दि. 08/09/25

इकाई
शिकायत प्रणाली
सलूमबर